

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 584/2023

अनवान:-

1. मोहनलाल पुत्र नौरंगराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम

1. बद्रीप्रसाद पुत्र नौरंगराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र नौरंगराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. गोपालराम पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. पतराम पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. भगवानाराम पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. महावीर पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. मैना देवी पत्नी स्व0 मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. भादरराम पुत्र स्व0 मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. श्योकरणराम पुत्र स्व0 मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. काशीराम पुत्र स्व0 मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
12. सुन्दर देवी पुत्री स्व0 मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
13. सुमित्रा देवी पुत्र स्व0 मांगीलाल पत्नी दालाराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
14. महावीर पुत्र बद्रीप्रसाद जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
15. सुरजभान पुत्र मंशाराम जाति सुथार निवासी चक 9 केकेएम न्यौलखी तहसील रावतसर।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- 1. श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता वादी
2. परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 26/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा थिराना पटवार हल्का नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 252/352 की कुल 3.5280 हैक्ट भूमि, खाता संख्या 172/128 की कुल 13.3660 हैक्ट भूमि व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 173/148 की कुल 0.1140 हैक्ट भूमि, खाता सं 171/345 की कुल 3.7940 हैक्ट, खाता सं 253/225 की कुल 16.1880 हैक्ट भूमि, खाता सं 397/346 की कुल 7.7780 हैक्ट भूमि, खाता संख्या 46/46 की कुल 16.9720 हैक्ट भूमि, 279 की कुल 19.1600 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता मे दर्ज राजस्व कार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता संख्या 46/46 की कुल 16.9720 हैक्ट भूमि में से कुछ भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम उनके पिता ने अपनी आय से खरीद कर उनके नाम करवाई थी तथा इसी प्रकार खाता संख्या 243/279 की कुल 19.1600 हैक्ट भूमि में से कुछ भूमि खरीद कर प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 14 के नाम करवाई थी इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि पर लम्बे समय से काश्त करते आ रहे हैं लेकिन वाद भूमि की किस्म अच्छी में से अच्छी व माडी में से माडी के विषय पर पक्षकारों में तनाजा बना रहता है एवं सीव डोल संबंधित झगड़ा भी आपस में बना रहता है यही बिनाय दावा है।

वाद भूमि साझा खाता की व पारिवारिक पुश्तैनी कृषि भूमि की आय से खरीद है उक्त प्रश्नगत भूमि जो कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 252/352 के ख0न0 8 की 3.5280 हैक्ट भूमि में खसरा के दक्षिण हिस्सा में प्रतिवादी स0 6 के पास 0.9424 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी स0 5 के पास खसरों के मध्य में 0.9424 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी स0 3 मोहनलाल के पास खसरे का उत्तरी हिस्सा 1.6432 हैक्ट भूमि पर कब्जा काश्त में है।

रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 172/128 के ख0न0 180/2 की 5.7760 हैक्ट भूमि में नक्शानुसार प्रतिवादी स0 1 के पास 0.3542 हैक्ट भूमि खसरे का दक्षिण हिस्सा वादी के पास खसरों के मध्य में 1.0478 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 के पास खसरों की उत्तरी हिस्सा में 4.364 हैक्ट कब्जा काश्त में है।

इसी खाता न0 180/3 की 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के कब्जा काश्त में है इसी खाता के खसरा न0 45 की 0.4170 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम एवं ख0न0 5 की 3.3890 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 3 के पास उत्तरी पश्चिमी कोने में खसरे के लगभग बीच तक 2 बीघा यानि 0.506 हैक्ट भूमि व वादी के पास इसी खसरों में प्रतिवादी स0 3 के चिपते हुए खसरे के मध्य से नीचे पश्चिमी हिस्से की उत्तर से दक्षिण की तरफ 1.0626 हैक्ट भूमि वादी के कब्जा काश्त में है एवं प्रतिवादी स0 1 के पास खसरे के लगभग मध्य उत्तर से पूर्वी उपर कोने की व खसरे के लगभग मध्य से नीचे दक्षिणी पूर्वी हिस्से की 1.8204 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के कब्जा काश्त में है इसी प्रकार ख0न0 662/2 व ख0न0 663/1 व ख0न0 663/5 की सम्पूर्ण भूमि वादी के कब्जा काश्त में है। इसी अनुसार खाता व लगान अलग अलग किया जावे।

खाता संख्या 173/148 के ख0न0 660/3 की 0.1140 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे एवं बद्रीराम प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जावे। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 171/345 के ख0न0 163/2 की 2.5290 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज की जावे तथा इसी खाता के ख0न0 659/3 की 1.2650 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज कर खाता व लगान अलग कायम किया जावे।

रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता 253/225 के ख0न0 7 के उत्तरी हिस्सा की 1.747 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज की जावे। खसरे का दक्षिण हिस्सा की 1.747 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज की जावे। खसरे का दक्षिण हिस्सा की 1.049 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 6 के नाम खसरे का मध्य हिस्सा 1.049 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 5 के नाम दर्ज कर तीनों खातेदारों के खाता व लगान अलग अलग किया जावे एवं शेष जमाबंदी यथावत रखी जावे। इसी प्रकार से खाता स0 397/346 के ख0न0 6 की 3.9840 हैक्ट भूमि में से खसरे की उत्तरी हिस्सा की 1.771 हैक्ट भूमि सोहन लाल पुत्र सुरजाराम यानि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज की जावे इसी खसरे का दक्षिण पूर्वी हिस्सा की 1.176 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे व नक्शानुसार इसी खसरे में प्रतिवादी स0 3 के नीचे दक्षिण पश्चिमी तरफ मध्य में 0.5185

हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 5 के नाम दर्ज की जावे व इसी के दक्षिणी तरफ नीचे व खसरे की वादी की दक्षिणी सीव की चिपती पश्चिम की तरफ 0.5185 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी स० 6 के नाम दर्ज की जावें एवं इसी अनुसार खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावें शेष खाता यथावत रहेगा।

रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 243/279 के ख०न० 500/759 की 10.7750 हैक्ट भूमि ख०न० 597 की 8.9850 हैक्ट कुल 19.1600 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स० 1 का 1597/19160 हिस्सा एवं प्रतिवादी स० 14 का 3193/19160 हिस्सा भूमि दर्ज है में प्रतिवादी स० 1 का नाम कलमजन कर उक्त हिस्सा प्रतिवादी स० 2 के नाम दर्ज किया जावें एवं प्रतिवादी स० 14 के नाम दर्ज 3193/19160 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी स० 14 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें शेष खाता व हिस्सा यथावत रखा जावें।

रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स० 46/46 की कुल तादादी 16.972 हैक्ट भूमि मे वादी अकेला 1349/16972 हिस्सा, प्रतिवादी स० 1 अकेला 1349/16972 हिस्सा, प्रतिवादी स० 2 अकेला 1349/16972 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है उक्त खाता में वादी व प्रतिवादी स० 2 का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी स० 2 का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज किया जावें एवं शेष खाता व हिस्सा यथावत रहेगा।

रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के ख०न० 398/395 के खसरा न० 162/2 की 0.506 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 2 के नाम दर्ज कर खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावें एवं शेष जमाबंदी यथावत रहेगी। तथा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का नाम कलमजन किया जावें। इसी अनुसार वाद वादी डिक्री फरमाया जावें।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की उक्त भूमि का मुताबिक बाहमी बंटवारा खाता व लगान अलग से तकसीम करवा ले तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी स० 1 ता 15 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 को कोई एतराज नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वाद भूमि को पक्षकारान के द्वारा मुताबिक बाहमी बंटवारा अपने-अपने अलग अलग काश्त करते आ रहे है अतः मुताबिक बंटवारा के खाता व लगान अलग से कायम किया जावें। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 के द्वारा वाद के संबंध में वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सभी पक्षकारान द्वारा अपना हक व हिस्सा अलग करवाने हेतु वाद पेश किया गया है। वादी का कथन है कि मुताबिक हक हिस्सा खाता व लगान अलग किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का नाम कलमजन किया जावें वादी के उक्त कथन के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 द्वारा वादी के कथनों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण

2/


संख्या 1 ता 15 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 252/352 के ख0न0 8 की 3.5280 हैक्ट भूमि में खसरा के दक्षिण हिस्सा में प्रतिवादी स0 6 के पास 0.9424 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी सं0 5 के पास खसरों के मध्य में 0.9424 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी स0 3 सोहनलाल के पास खसरे का उत्तरी हिस्सा 1.6432 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 172/128 के ख0न0 180/2 की 5.7660 हैक्ट भूमि में नक्शानुसार प्रतिवादी स0 1 के पास 0.3542 हैक्ट भूमि खसरे का दक्षिण हिस्सा वादी के पास खसरों के मध्य में 1.0478 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 के पास खसरों की उत्तरी हिस्सा में 4.364 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व इसी खाता के खसरा न0 न0 180/3 की 0.7590 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी खाता के खसरा न0 45 की 0.4170 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 एवं ख0न0 5 की 3.3890 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 3 के पास उत्तरी पश्चिमी कोने में खसरे के लगभग बीच तक 2 बीघा यानि 0.506 हैक्ट भूमि व वादी के पास इसी खसरों में प्रतिवादी स0 3 के चिपते हुए खसरे के मध्य से नीचे पश्चिमी हिस्से की उत्तर से दक्षिण की तरफ 1.0626 हैक्ट भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं प्रतिवादी स0 1 के पास खसरे के लगभग मध्य उत्तर से पूर्वी उपर कोने की व खसरे के लगभग मध्य से नीचे दक्षिणी पूर्वी हिस्से की 1.8204 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज की जाती है इसी प्रकार ख0न0 662/2 व ख0न0 663/1 व ख0न0 663/5 की सम्पूर्ण भूमि वादी के के नाम दर्ज की जाती है। रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 173/148 के ख0न0 660/3 की 0.1140 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है एवं बद्रीप्रसाद प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 171/345 के ख0न0 163/2 की 2.5290 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज की जाती है तथा इसी खाता के ख0न0 659/3 की 1.2650 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता 253/225 के ख0न0 7 के उत्तरी हिस्सा की 1.747 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज की जाती है व खसरे का दक्षिण हिस्सा की 1.049 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 6 के नाम खसरे का मध्य हिस्सा 1.049 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 5 के नाम दर्ज कर तीनों खातेदारों के खाता व लगान अलग अलग किया जाता है एवं शेष जमाबंदी यथावत रखी जावें। इसी प्रकार रोही मौजा थिराना के खाता स0 397/346 के ख0न0 6 की 3.9840 हैक्ट भूमि में से खसरे की उत्तरी हिस्सा की 1.771 हैक्ट भूमि सोहन लाल पुत्र सुरजाराम यानि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज की जाती है व इसी खसरे का दक्षिण पूर्वी हिस्सा की 1.176 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है व नक्शानुसार इसी खसरे में प्रतिवादी स0 3 के नीचे दक्षिण

पश्चिमी तरफ मध्य में 0.5185 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 5 के नाम दर्ज की जाती है व इसी के दक्षिणी तरफ नीचे व खसरे की वादी की दक्षिणी सींव की चिपती पश्चिम की तरफ 0.5185 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी स० 6 के नाम दर्ज की जाती एवं इसी अनुसार खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावें शेष खाता यथावत रहेगा। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 243/279 के ख०न० 500/759 की 10.7750 हैक्ट भूमि ख०न० 597 की 8.3850 हैक्ट कुल 19.1600 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स० 1 का 1597/19160 हिस्सा एवं प्रतिवादी स० 14 का 3193/19160 हिस्सा भूमि दर्ज है में प्रतिवादी स० 1 का नाम कलमजन कर उक्त हिस्सा प्रतिवादी स० 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी स० 14 के नाम दर्ज 3193/19160 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी स० 14 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है शेष खाता व हिस्सा यथावत रखा रहेगा। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स० 46/46 की कुल तादादी 16.972 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1349/16972 हिस्सा, प्रतिवादी स० 1 अकेला 1349/16972 हिस्सा, प्रतिवादी स० 2 अकेला 1349/16972 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है उक्त खाता में वादी व प्रतिवादी स० 2 का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी स० 2 का सम्पूर्ण हिस्सा में प्रतिवादी स० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष खाता व हिस्सा यथावत रहेगा। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 398/395 के खसरा न० 162/2 की 0.506 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 2 के नाम दर्ज कर खाता संख्या 162/2 में सोहनलाल प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जावें एवं शेष जमाबंदी यथावत रहेगा तथा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का नाम कलमजन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/9/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 584/2023

अनवान:-

1. मोहनलाल पुत्र नौरंगराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. बद्रीप्रसाद पुत्र नौरंगराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र नौरंगराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. गोपालराम पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. पतराम पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. भगवानाराम पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. महावीर पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. मैना देवी पत्नी स्व० मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. भादरराम पुत्र स्व० मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. श्योकरणराम पुत्र स्व० मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. काशीराम पुत्र स्व० मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
12. सुन्दर देवी पुत्री स्व० मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
13. सुमित्रा देवी पुत्र स्व० मांगीलाल पत्नी दालाराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
14. महावीर पुत्र बद्रीप्रसाद जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।
15. सुरजभान पुत्र मंशाराम जाति सुथार निवासी चक 9 केकेएम न्यौलखी तहसील रावतसर।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 584 सन 2023 निर्णय दिनांक.....26/9/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति निर्णयार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 252/352 के ख०न० 8 की 3.5280 हैक्ट भूमि में खसरा के दक्षिण हिस्सा में प्रतिवादी स० 6 के पास 0.9424 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी सं० 5 के पास खसरों के मध्य में 0.9424 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी स० 3 सोहनलाल के पास खसरे का उत्तरी हिस्सा 1.6432 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 172/128 के ख०न० 180/2 की 5.7760 हैक्ट भूमि में नक्शानुसार प्रतिवादी स० 1 के पास 0.3542 हैक्ट भूमि खसरे का दक्षिण हिस्सा वादी के पास खसरों के मध्य में 1.0478 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 2 के पास खसरों की उत्तरी हिस्सा में 4.364 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व इसी खाता के खसरा न० न० 180/3 की 0.7590 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता के खसरा न० 45 की 0.4170 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स० 1 एवं ख० न० 5 की 3.3890 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स० 3 के पास उत्तरी पश्चिमी कोने में खसरे के लगभग बीच तक 2 बीघा यानि 0.506 हैक्ट भूमि व वादी के पास इसी खसरों में प्रतिवादी स० 3 के चिपते हुए खसरे के मध्य से नीचे पश्चिमी हिस्से की उत्तर से दक्षिण की तरफ 1.0626 हैक्ट भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं प्रतिवादी स० 1 के पास खसरे के लगभग मध्य उत्तर से पूर्वी उपर कोने की व खसरे के लगभग मध्य से नीचे दक्षिणी पूर्वी हिस्से की 1.8204 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज की जाती है इसी प्रकार ख० न० 662/2 व ख० न० 663/1 व ख० न० 663/5 की सम्पूर्ण भूमि वादी के के नाम दर्ज की जाती है। रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 173/148 के ख० न० 660/3 की 0.1140 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है एवं बद्रीराम प्रतिवादी स० 1 का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 171/345 के ख० न० 163/2 की 2.5290 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 2 के नाम दर्ज की जाती है तथा इसी खाता के ख० न० 659/3 की 1.2650 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता 253/225 के ख० न० 7 के उत्तरी हिस्सा की 1.747 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 3 के नाम दर्ज की जाती है व खसरे का दक्षिण हिस्सा की 1.049 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 6 के नाम खसरे का मध्य हिस्सा 1.049 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 5 के नाम दर्ज कर तीनों खातेदारों के खाता व लगान अलग अलग किया जाता है एवं शेष जमाबंदी यथावत रखी जावें। इसी प्रकार रोही मौजा थिराना के खाता स० 397/346 के ख० न० 6 की 3.9840 हैक्ट भूमि में से खसरे की उत्तरी हिस्सा की 1.771 हैक्ट भूमि सोहन लाल पुत्र सुरजाराम यानि प्रतिवादी स० 3 के नाम दर्ज की जाती है व इसी खसरे का दक्षिण पूर्वी हिस्सा की 1.176 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है व नक्शानुसार इसी खसरे में प्रतिवादी स० 3 के नीचे दक्षिण पश्चिमी तरफ मध्य में 0.5185 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 5 के नाम दर्ज की जाती है व इसी के दक्षिणी तरफ नीचे व खसरे की वादी की दक्षिणी सींव की चिपती पश्चिम की तरफ 0.5185 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी स० 6 के नाम दर्ज की जाती एवं इसी अनुसार खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावें शेष खाता यथावत रहेगा। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 243/279 के ख० न० 500/759 की 10.7750 हैक्ट भूमि ख० न० 597 की 8.9850 हैक्ट कुल 19.1600 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स० 1 का 1597/19160 हिस्सा एवं प्रतिवादी स० 14 का 3193/19160 हिस्सा भूमि दर्ज है में प्रतिवादी स० 1 का नाम कलमजन कर उक्त हिस्सा प्रतिवादी स० 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी स० 14 के नाम दर्ज 3193/19160 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी स० 14 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं शेष खाता व हिस्सा यथावत रखा रहेगा। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स० 46/46 की कुल तादादी 16.972 हैक्ट भूमि मे वादी अकेला 1349/16972 हिस्सा, प्रतिवादी स० 1 अकेला 1349/16972 हिस्सा, प्रतिवादी स० 2 अकेला 1349/16972 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है उक्त खाता में वादी व प्रतिवादी स० 2 का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी स० 2 का सम्पूर्ण हिस्सा में प्रतिवादी स० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष खाता व हिस्सा यथावत रहेगा। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 398/395 के खसरा न० 162/2 की 0.506 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 2 के नाम दर्ज कर खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाता है एवं शेष जमाबंदी यथावत रहेगा तथा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का नाम कलमजन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन

उपस्रण्ड अधिकारी
नोहर

आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/9/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर